<u>न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला</u> <u>बडवानी म.प्र.</u>

आप0प्र0क0— 129/2018 आर.सी.टी.नं. 116/2018 संस्थापन दिनांक—28.04.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

....अभियोगी

विरुद्ध

अनिल पिता गोपालसिंह उम्र 22 वर्ष निवासी— कुण्डिया थाना ठीकरी तहसील ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

//निर्णय// (आज दिनांक 28.04.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त **अनिल** के विरूद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक **21.03.2018 को 13:30** बजे रामफुल के ढाबे के सामने ए.बी. रोड़ खुरमपुरा **ठीकरी** आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के विना 16 क्वाटर देशी प्लेन शराब रखने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 21.03.2018 को मूखिबर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति ठीकरी तरफ से अवैध रूप से शराब लेकर रामफुल के ढाबे तरफ आ रहा है, सूचना पर विश्वास कर हमराही पंचान जयपाल पिता हरेसिंह एवं तस्लिम पिता अब्दुल को सूचना से अवगत कराकर दोनों हमराह लेकर रामफुल के ढाबे के पास पहुंचे मूखिबर तो थोडी देर बाद एक व्यक्ति हाथ में झोला लेकर आते देखा, जिसे घेराबंदी कर पकडा, जिसे नाम पता पूछने पर उसने अपना

\sim		
नि	ਹਰਹ	

नाम अनिल पिता गोपालिसंह होना बताया। झोले को चेक करते समय उसमें 16 क्वाटर देशी शराब होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी अनिल पिता गोपालिसंह का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष आरोपी अनिल के कब्जे से 16 क्वाटर देशी शराब जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क0 110/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी अनिल पिता गोपालिसंह के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी अनिल पिता गोपालिसेंह ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति देशी शराब के 16 क्वाटर रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। 05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000/— क्र के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे। 06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

सही/-

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड़ जिला बड़वानी म0प्र0 मेरे निर्देशन व बोलने पर टंकित किया गया।

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बड़वानी म0प्र0